( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

**इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 44/2014**
**इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 36/2016**

**बउनवान**

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ
(सायल)

**बनाम**

श्री रामचरण उर्फ रिंकू उम्र 26वर्ष पुत्र योगेशचन्द पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी मण्डोला वार्ड हाल हनुमान मंदिर के पास, लंका कॉलोनी, बाराँ
(गैरसायल)

**इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3**

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री अरविन्द बघेरवाल अभि0 (गैरसायल)

**निर्णय दिनांक 18.01.2021**

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रामचरण उर्फ रिंकू पुत्र योगेशचन्द पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी मण्डोला वार्ड हाल हनुमान मंदिर के पास, लंका कॉलोनी, बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली, जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सटटा खेलने–खिलाने एवं आम जनता के साथ मारपीट की आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ में वर्ष 2007 से 2015 तक की अवधि मे कुल 15 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (05), भादस(02) एवं एक्साईज एक्ट (08) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (05) एवं एक्साईज एक्ट (07) के तहत कुल 12 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है एवं कुल 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। गैरसायल के विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत 01 बार इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। इसकी दिन प्रतिदिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है, जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने से डरते है एवं साक्ष्य देने में भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है, इसकी आम शौहरत खराब रही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:38 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व इस्तगासे दिनांक 01.08.2014 एवं दिनांक 17.10.2016 को दर्ज रजिस्टर किये गये तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि** चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ में वर्ष 2007 से 2015 तक की अवधि मे कुल 15 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (05), भादस(02) एवं एक्साईज एक्ट (08) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (05) एवं एक्साईज एक्ट (07) के तहत कुल 12 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है एवं कुल 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। गैरसायल के विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत 01 बार इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। इसकी दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

**इसके विपरीत गैरसायल द्वारा** जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी [illegible] जाती है। मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर की कार्यवाही [illegible] थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली [illegible] द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर में पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां कि[illegible] जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:38 IST
Reason: SelfAttested

**मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल स्वयं** की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन एवं विश्लेषण किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ में वर्ष 2007 से 2015 तक की अवधि मे कुल 15 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (05), भादस(02) एवं एक्साईज एक्ट (08) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (05) एवं एक्साईज एक्ट (07) के तहत कुल 12 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है एवं कुल 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। गैरसायल के विरुद्ध 110 जा0फो0 के तहत 01 बार इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि रामचरण उर्फ रिंकू पुत्र योगेशचन्द पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी मण्डोला वार्ड हाल हनुमान मंदिर के पास, लंका कॉलोनी, बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 12 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल रामचरण उर्फ रिंकू पुत्र योगेशचन्द पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी मण्डोला वार्ड हाल हनुमान मंदिर के पास, लंका कॉलोनी, बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅं तथा धारा 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली, बाराँ से 15 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूॅं।

गैरसायल रामचरण उर्फ रिंकू पुत्र योगेशचन्द पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी मण्डोला वार्ड हाल हनुमान मंदिर के पास, लंका कॉलोनी, बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/— रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 02.02.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली, जिला बाराँ से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील मिसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:38 IST
Reason: SelfAttested

( मोहम्मद अबूबक्र )
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ